संख्या-87/2021/2923/41-2020-94(बजट)/2018 टीसी-2

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 08 फरवरी, 2021

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में पर्यटन पुलिस बल का बेतन दिये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3063/15-1-838(24)/ट्रै0ट्रे0/2020-21, दिनांक 09 अक्टूबर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **पर्यटन पुलिस बल को बेतन दिये जाने हेतु** चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 आय-व्ययक के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान--01-वेतन मद में हो रही बचत से लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-**08-पर्यटन पुलिस बल का गठन-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान** मद में संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र में उल्लिखित धनराशि रू0 164.00 लाख (रूपये एक करोड़ चौंसठ लाख मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-आर0ई0-316/दस-2020, दिनांक 01 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या-87/2019/3909(1)/41-2019-172(बजट)/2019 तद्दिनांक::

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वाराणसी ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. उप निदेशक पर्यटन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
8. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- संयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 (धनराशि रूपये लाख मे)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा**		**निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण**				**वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा**	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी मद	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध प्राविधान/अनुदान/ विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)**	**लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में)**	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय की धनराशि**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-**01-वेतन**	1053.25	164.00	164.00	**164.00**	**889.25**	3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन-**16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद**	300.00	464.00	164.00	**164.00**	**464.00**
योग	**1053.25**	**164.00**	**164.00**	**164.00**	**889.25**	**योग**	**300.00**	**464.00**	**164.00**	**164.00**	**464.00**

नोटः- 1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है। उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान के मानक मद-01-वेतन में रु0 1053.25 लाख का मूल प्रावधान उपलब्ध है एवं इस मानक मद में रु0 164.00 लाख की बचत संभावित है। पर्यटन पुलिस के अन्तर्गत कर्मियों को आलोच्य वर्ष में वेतन दिए जाने हेतु रु0 164.00 लाख की और आवश्यकता हैए जिसकी पूर्ति के लिए संदर्भित लेखाशीर्ष में हो रही बचत से पुनर्विनियोग प्रस्तावित है।

2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है। पर्यटन पुलिस बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को आलोच्य वर्ष में वेतन दिए जाने हेतु रु0 300.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध कराया गया हैए जबकि विगत वर्ष भी इस मद में धनराशि कम प्राप्त होने के कारण आगराए लखनऊ एवं वाराणसी परिक्षेत्र में कार्यरत कर्मियों को 03 माह का वेतन नहीं मिल पाया थाए अतः विगत वर्ष की लम्बित देनदारी को सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन के मानक मद-16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में कुल रु0 464.00 लाख के व्यय का अनुमान है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150ए 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव ।
पर्यटन विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-आर0ई0-316/दस-2020 दिनांक 01 फरवरी 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(राजेन्द्र राम)
अनु सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-87/2019/3909(1)/41-2019-172(बजट)/2019 तद्दिनांक::

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वाराणसी ।
4- निदेशक, वितीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. उप निदेशक पर्यटन निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
8. वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- संयुक्त निदेशक, पर्यटन वाराणसी।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in